

भारत का राजपत्र दिनांक 10.12.2003 अंक में प्रकाशित
सा.कर नि.23(अ) वन संरक्षण अधिनियम 2003 के अन्तर्गत

परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)
फार्म (क)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व
अनुमति लेने का फार्म प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 2013/079
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

01 परियोजना विवरण :-

1. अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव :-
परियोजना/स्कीम/सक्षिप्त विवरण सीन ऑफ क्राईम यूनिट-ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर"
(मोबाईल फोरेंसिंग साइंस लेबोरेटरी) की स्थापना हेतु।
2. 1:50000 स्केल मानचित्र पर वन :-
भूमि और उसके आसपास के वनों
की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र खण्ड 7
3. परियोजना की लागत :- ₹ 2.00 करोड़
4. लेवन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य :- उपयुक्त राजस्व भूमि की अनुपब्धता तथा उक्त वन
भूमि उपयुक्त होने के कारण।
5. लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) X
6. रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में रोजगार के
अवसर पैदा होंगे।

02 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- सीन ऑफ क्राईम यूनिट-ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर"
(मोबाईल फोरेंसिंग साइंस लेबोरेटरी) की स्थापना हेतु।

03 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण :- X
कौनसे हैं वे ?

1. जनसंख्या की संख्या

2. कुल परिवारों की संख्या

3. परियोजना से संलग्न किये जाने के लिये

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के
के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)

- 05 प्रति पूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण :- X
और/या दण्ड स्वरूप प्रतिनूरक वनीकरण की लागत
के साथ-साथ राज्य सरकार तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः
वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)

06. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/
दस्तावेजों का व्योरा।

तिथि :- 08/05/2015

स्थान - कांकेर।

पुलिस अधीक्षक
उत्तर बस्तर कांकेर